

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में
सी.एम.पी. संख्या 443/2019

अशोक कुमार झा

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. झारखंड राज्य सूचना आयोग, धुर्वा, झारखंड, रांची
3. सचिव, झारखंड राज्य सूचना आयोग, धुर्वा, झारखंड, रांची
4. जगदीश दत्त
5. प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, नाला, जिला जामताड़ा
6. राकेश कुमार पाण्डेय, पीआईओ, झारखंड शिक्षा परियोजना, जामताड़ा

.....प्रतिवादी

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री दीपक कुमार प्रसाद, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं की ओर से : श्री तरुण कुमार, एस.सी.वी के ए.सी.

3/03.09.2019 श्री दीपक कुमार प्रसाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और श्री तरुण कुमार, विद्वान एस.सी.वी के ए.सी. को सुना।

इस आवेदन में, याचिकाकर्ता ने डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 5762 /2011 की पुनर्बहाली के लिए प्रार्थना की है, जिसे 27.06.2019 को गैर-उपस्थिति के कारण खारिज कर दिया गया था।

तत्काल आवेदन में दिए गए कारणों से संतुष्ट होने के बाद, प्रार्थना स्वीकार की जाती है और डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 5762/2011 को मूल फ़ाइल में पुनर्बहाल किया जाता है।

(रंगन मुखोपाध्याय, न्याया.)

आर शेखर सीपी 2